प्रधानमंत्री मोदी के इतिहास ज्ञान पर जनता हंसे या रोए ?

जितेंद्र भट्ट

प्रिय प्रधानमंत्री जी, एक बार फिर आपको बताना है कि आपने अपने भाषण में ऐतिहासिक तथ्यों की गलती की है। शायद आपने इतिहास की जितनी भी किताबें पढ़ी हैं, उनमें भगत सिंह से जुड़ी ये बातें नहीं आई होंगी। गलती करना बड़ी बात नहीं है। ये इंसानी फितरत है। गलतियों को नजरअंदाज किया जा सकता है। इन्हें तूल देने का कोई फायदा नहीं। पर आपने अनुरोध किया था, इसलिए आपको बताना जरूरी है।

प्रधानमंत्री जी, आपने कहा था-"अगर आपमें से किसी को ये जानकारी है, तो जरूर बताना। मैंने जितना इतिहास पढ़ा है, मेरे ध्यान में नहीं आया है। लेकिन फिर भी अगर आपमें किसी में जानकारी हो, तो मैं अपनी बात में सुधार करने के लिए तैयार हूं।"

प्रधानमंत्री जी, ये आपका बड़प्पन है कि आपने अपनी जानकारी में सुधार के लिए सुझाव आमंत्रित किया। मैंने कुछ जानकारियां बड़ी मेहनत से इकट्ठा की हैं। उम्मीद है, इसपर ध्यान दिया जाएगा।

मैं दुखी होकर ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की चुनावी बिसात में शहीद भगत सिंह को एक मोहरा बना दिया। प्रधानमंत्री ने भगत सिंह के नाम के साथ वीर जोड़ा। उन्हें शहीद भी कहा। पर अगले ही पल उस वीर शहीद का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए किया।

प्रधानमंत्री ने 87 साल पुराने ऐतिहासिक तथ्य का इस्तेमाल अपनी सहूलियत के हिसाब से किया। 9 मई की शाम शहीद भगत सिंह का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री सहज नहीं दिखे। शायद उनके मन में एक सवाल था। शायद वो ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे।

संभव है, प्रधानमंत्री जानते हों कि वो जो कह रहे हैं वो तथ्यात्मक रूप से ठीक नहीं है। पर शायद कर्नाटक की चुनावी बिसात में विरोधी को मात देने के लिए ये अच्छा 'संवाद' था। मैं नहीं जानता कि दोनों में से कौन सी बात ज्यादा सही है।

लेकिन प्रधानमंत्री ने विरोधियों पर वार करने के लिए जिस वक्त भगत सिंह का जिक्र किया। तब उन्होंने शुरुआत चौंकाने वाली बात से की। प्रधानमंत्री ने कहा, "भाईयो बहनों, अगर आपमें से किसी को ये जानकारी है, तो जरूर बताना। मुझे नहीं है। मैंने जितना इतिहास पढ़ा है, मेरे ध्यान में नहीं आया है। लेकिन फिर भी अगर आप में किसी में जानकारी हो, तो मैं अपनी बात में सुधार करने के लिए तैयार हूं।"

प्रधानमंत्री ने भगत सिंह से जुड़े ऐतिहासिक तथ्य को दुनिया के सामने रखने से पहले चार बार ये जाहिर किया कि वह जो बोलने वाले हैं, उसे लेकर वो आश्वस्त नहीं हैं। मैंने प्रधानमंत्री को कभी इस तरह नहीं देखा। उन्होंने अपने भाषणों में विरोधियों के खिलाफ जब भी कोई बात कही, वो सौ फीसदी से ज्यादा आश्वस्त दिखे हैं। चाहे वो तथ्यात्मक रूप से गलत ही क्यों न हों, वो किसी को अहसास नहीं होने देते कि उन्होंने कोई गलती की है। प्रधानमंत्री का

आत्मविश्वास, उनकी वाक कला, अंदाज, जोश से भरी आवाज; हमेशा चीख चीखकर कहती है, वो सही ही कह रहे होंगे। सोच कर देखिए, 3 मई को कर्नाटक की चुनावी सभा में जब प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के नेताओं पर फील्ड मार्शल के एम करिअप्पा के अपमान का आरोप लगाया। तो आपने क्या सोचा? क्या आपको प्रधानमंत्री के उस बयान में कोई गलती नजर आई थी? ज्यादातर लोगों को अब तक ये अहसास नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री ने देश के सामने गलत तथ्य पेश किए।

प्रधानमंत्री ने उन फील्ड मार्शल करिअप्पा के अपमान की तोहमत कांग्रेस नेताओं पर लगाई, जिनको कांग्रेस की सरकार ने विदेश में हाई कमिश्नर नियुक्त किया। और बाद में राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार ने फील्ड मार्शल के रैंक से नवाजा।

प्रधानमंत्री ने जनरल के एस थिम्मैया को लेकर भी कुछ कहा। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू पर जनरल थिम्मैया का अपमान करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अपमान से आहत जनरल थिम्मैया ने इस्तीफा दे दिया था।

प्रधानमंत्री ने अपनी बात इस्तीफे पर खत्म की, इस्तीफे पर उनका जोर था। ज्यादातर लोगों ने प्रधानमंत्री की इन बातों पर भरोसा किया होगा। पर इसमें भी तथ्यात्मक गलतियां थी। जनरल थिम्मैया ने इस्तीफा तो दिया। पर नेहरू ने उन्हें इस्तीफा वापस लेने के लिए कहा। जनरल थिम्मैया मान गए। तो इसे ऐसे समझिए कि इस्तीफा प्रकरण के बाद जनरल थिम्मैया करीब दो साल आर्मी चीफ रहे।

शायद प्रधानमंत्री ये बात नहीं जानते होंगे। जिस नेहरू पर उन्होंने जनरल थिम्मैया के अपमान का आरोप लगाया, उसी नेहरू की सरकार ने जनरल थिम्मैया को 1954 में पद्म भूषण से नवाजा।

बात भगत सिंह से शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री ने बीदर की रैली में भीड़ के सामने कहा, "आप मुझे बताइए, देश के लिए मर मिटने वाले। आजादी की जंग के अंदर जान खपाने वाले। वीर शहीद भगत सिंह, जब जेल में थे। मुकदमा चल रहा था। क्या कोई कांग्रेसी परिवार का व्यक्ति शहीद वीर भगत सिंह को मिलने गया था? मिलने गया था?"

प्रधानमंत्री ने इसके आगे बटुकेश्वर दत्त का नाम जोड़ा। उन्होंने कहा, "बटुकेश्वर दत्त उन पर मुकदमा चल रहा था। वीर थे। स्वातंत्र सेनानी थे। क्रांतिकारी थे। क्या कोई कांग्रेसी परिवार बटुकेश्वर दत्त को जेल में, कोर्ट में या अस्पताल में कहीं पर मिलने गया था? मैं आपसे पूछता हूं, गया था? कोई गया था?"

प्रधानमंत्री ने भगत सिंह के जरिए देश को ये समझाने की कोशिश की, कि कांग्रेस के नेताओं ने देश पर मर मिटने वाले शहीदों का अपमान किया। उन्होंने अपमान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। पर ये तो कहा ही कि कांग्रेस के नेताओं को शहीदों की परवाह नहीं थी।

पर हकीकत क्या है? क्या इतिहास को एक चुनावी रैली में बदला जा सकता है? क्या दस बीस हजार लोगों की भीड़ के सामने नेताओं के बयान ऐतिहासिक तथ्यों का चेहरा बदल सकते हैं? तो सच क्या है?

10 अगस्त, 1929 के दिन पंजाब से छपने वाले ट्रिब्यून पेपर ने लिखा। जवाहर लाल नेहरू 9 अगस्त, 1929 को लाहौर की जेल में बंद भगत सिंह से मिलने गए। नेहरू ने जेल में अनशन कर रहे भगत सिंह से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद नेहरू ने लिखा -"मैं नायकों की दुर्दशा देखकर बहुत ज्यादा दुखी हूं। उन्होंने अपनी जान इस संघर्ष में लगा दी। वो चाहते हैं कि राजनैतिक कैदियों के साथ राजनैतिक कैदियों की तरह व्यवहार हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि उनका बलिदान सफल रहेगा।"

नेहरू ने कांग्रेस के बुलेटिन में भी भगत सिंह के बारे में लिखा। प्रधानमंत्री को यह जानना चाहिए कि नेहरू ने कांग्रेस के माउथपीस, कांग्रेस बुलेटिन में कोर्ट के सामने भगत सिंह द्वारा दिए गए बयान को पूरा का पूरा छाप दिया। ये जोखिम भरा काम था। जिसे लेकर नेहरू को गांधी की नाराजगी का सामना भी करना पड़ा। गांधी ने नाराजगी से भरी एक चिट्ठी नेहरू को लिखी।

15 जून, 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अपने साथियों के साथ लाहौर की जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी। ये भूख हड़ताल 2 सिंतबर को खत्म हुई। जब कांग्रेस पार्टी की एक टीम और ब्रिटिश अफसरों ने जेल में बंद क्रांतिकारियों की मांगें माने जाने का भरोसा दिया। हालांकि अंग्रेज बाद में अपनी बातों से पलट गए। अनशन दोबारा शुरू हुआ।

12 अक्टूबर, 1930 को नेहरू ने एक भाषण दिया। इस भाषण में उन्होंने भगत सिंह पर चलाए गए मुकदमे की बात की। नेहरू ने कहा, "मैं उनसे सहमत होऊं या नहीं, मेरे मन में भगत सिंह जैसे व्यक्तित्व के साहस और बलिदान के लिए श्रद्धा भरी है। भगत सिंह जैसा साहस दुर्लभ है। अगर वायसराय हमसे उम्मीद करते हैं कि वो हमें इस आश्चर्यजनक साहस और उसके पीछे के ऊंचे उद्देश्यों की तारीफ करने से रोक सकते हैं, तो वह गलत समझते हैं। उन्हें अपने दिल से पूछना चाहिए कि अगर भगत सिंह एक अंग्रेज होते और उन्होंने इंग्लैंड के लिए ऐसा किया होता, तो उन्हें कैसा महसूस होता।"

हालांकि ये भी एक ऐतिहासिक तथ्य है कि महात्मा गांधी और जवाहर लाल नेहरू जैसे नेताओं ने खुले तौर पर ये बात भी कही कि उन्हें भगत सिंह का रास्ता ठीक नहीं लगता। नेहरू ने कांग्रेस के ऐतिहासिक कराची सेशन में इस बात को पूरी दुनिया के सामने दोहराया।

प्रधानमंत्री जी मदन मोहन मालवीय को बहुत मानते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि मदन मोहन मालवीय कांग्रेसी थे। और जिस वक्त भगत सिंह जेल में थे, वो कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय थे। 1932 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इससे पहले 14 फरवरी, 1931 को मदन मोहन मालवीय ने इरविन से भगत सिंह की फांसी की सजा माफ करने की अपील की।

तो प्रधानमंत्री ने भगत सिंह का नाम लेकर लोगों से सवाल किया कि "वीर शहीद भगत सिंह, जब जेल में थे। मुकदमा चल रहा था। क्या कोई कांग्रेसी परिवार का व्यक्ति शहीद वीर भगत सिंह को मिलने गया था?" प्रधानमंत्री के इस सवाल का जवाब 'हां' है।

प्रधानमंत्री को इतिहास समझना चाहिए कि सिर्फ नेहरू नहीं, कई कांग्रेसी भगत सिंह की रिहाई की कोशिश में थे। इनमें गांधी भी शामिल थे। इसके बावजूद कि वो भगत सिंह के हिंसा के विचारों से असहमत थे।

प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि जब वो भगत सिंह का नाम लेकर कांग्रेसी नेताओं पर तंज कसते हैं, तो इनमें अकेले नेहरू नहीं हैं। प्रधानमंत्री अनजाने ही महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, सरदार पटेल पर भी तंज कस रहे होते हैं।

23 मार्च, 1931 को गांधी ने तब के वायसराय को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में गांधी ने वायसराय से भगत सिंह की फांसी पर पुनर्विचार करने को कहा। गांधी ने इस चिट्ठी में हर दूसरी लाइन में भगत सिंह की फांसी को रद्द करने की अपील थी। अंत में गांधी ने लिखा, अगर इस काम में मेरी जरुरत हो, तो मैं आ सकता हूं। और खत के आखिर में तीन शब्द लिखे हुए थे – "Charity never faileth" (चैरिटी नेवर फेल्थ)

भगत सिंह की फांसी के बाद 29 मार्च, 1931 को गांधी ने यंग इंडिया अखबार में लिखा, "भगत सिंह और उनके दो साथियों को फांसी हो गयी। कांग्रेस ने उनकी जिंदगी बचाने की कई कोशिशें की, सरकार की तरफ से कई उम्मीदें भी दी गयीं, लेकिन अंत में सब बेकार गया।"

साफ है वैचारिक विरोध के बावजूद गांधी ने भगत सिंह की फांसी टालने की कोशिश की। उनकी कोशिश कितनी कारगर थी या कितनी नहीं, ये बहस का विषय हो सकता है।

पर निसंदेह भगत सिंह और नेहरू एक दूसरे के विचारों के काफी करीब थे। अंत में ये बताना जरूरी है कि जुलाई 1928 में भगत सिंह ने 'कीर्ति' में एक लेख लिखा। लेख उस वक्त के दो उभरते लीडर नेहरू और सुभाष चंद्र बोस पर था। लेख का शीर्षक था-'नए नेताओं के अलग अलग विचार'

इस लेख में भगत सिंह ने जिस तार्किक तरीके से नेहरू की खुली सोच की तारीफ की है। उसे नेहरू के आलोचकों को जरुर पढ़ना चाहिए। समझना भी चाहिए और अंत में, भाषणों के जरिए इतिहास को बदलना मूर्खता है।

मोदी का आयुष्मान, बीमा कम्पनियों की लूट का प्लान

पेज एक का शेष

पास जाने की जरूरत होती है उसे सरकार बीमा कम्पनी के पास भेजने का इन्तजाम करने जा रही है। फ़िर उस मरीज़ को लेकर बीमा कम्पनी व अस्पताल के बीच सौदेबाज़ी और मुकदमेबाज़ी होगी। आरएसबीवाई के मुकदमे अभी तक निपटे नहीं हैं।

ध्यान देने वाली दूसरी बात यह है कि जैसे हरियाणा में 30 लाख ईएसआई कवर्ड परिवार हैं, देश भर में ऐसे करीब 4 करोड़ परिवार मौजूद हैं और ये ही परिवार सबसे निचले तबके से आते हैं। जिन 10 करोड़ परिवारों के लिये आयुष्मान सेवा की बात की जा रही है उस योजना में भी तो यही लोग शामिल हो जायेंगे। सारे नहीं तो आधे भी हो गये तो उनका तो दोहरा बीमा हो जायेगा न। ऐसे में मोदी की मुनाफ़ा लूटने वाली बीमा कम्पनियां किश्त तो सरकार से ले लेंगी और इलाज के लिये उन्हें ईएसआई की ओर धकेल देंगी यानी आम के आम गुठलियों के दाम।

यदि सरकार की नीयत ड्रामेबाजी करने की बजाय वास्तव में ही देश की जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधायें प्रदान करने की हो तो मौजूदा ईएसआई व्यवस्था को दुरुस्त करे। इसके खजाने में मज़दूरों के जमा पड़े 75000 करोड़ रुपये का सदुपयोग करके बेहतरीन चिकित्सा सुविधायें प्रदान की जा सकती हैं। इसी तर्ज पर केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों की स्वास्थ्य सेवाओं को भी चुस्त-दुरुस्त एवं भ्रष्टाचार से मुक्त करके बेहतर चिकित्सा सुविधायें दी जा सकती हैं।

परन्तु जिस सरकार ने चिकित्सा को व्यापार का दर्जा दे दिया हो, लूटने खाने का व्यवसाय बना दिया हो वह आरएसबीवाई एवं आयुष्मान भारत जैसी ड्रामेबाज़ियों के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकती।

जिंदा बच्चे को कफन में लपेटने वाले मैक्स के डॉक्टरों को मेडिकल काउंसिल ने दी क्लीन चिट

दिल्ली, जनज्वार। दिल्ली मेडिकल काउंसिल ने दिल्ली के शालीमार बाग स्थित उस मैक्स अस्पताल के डॉक्टरों को क्लीनचिट दे दी है, जिन्होंने जिंदा बच्चे को कफन में लपेट मृत बता दिया था। दिल्ली मेडिकल काउंसिल ने अब यह जांच यहीं पर समाप्त कर दी है और डॉक्टर फिर से पहले की तरह काम करने लगेंगे।

सवाल है कि दिल्ली मेडिकल काउंसिल ने इन डॉक्टरों को किस आधार पर क्लीनचिट दी है, क्योंकि घोर लापरवाही बरतते हुए डॉक्टरों ने न सिर्फ जिंदा बच्चे को कफन में लपेट दिया था, बल्कि अपनी गलती भी नहीं स्वीकारी थी। अस्पताल प्रबंधन ने कहा था कि हम इस घटना से खुद शॉक्ड हैं। आखिर क्या हुआ उस शॉक का।

गौरतलब है कि जब इस मामले की जांच मेडिकल काउंसिल को सौंपी गई थी, तभी सवाल उठने शुरू हो गए थे कि वह इस मामले में फेयर नहीं रहेगा और डॉक्टरों के पक्ष में फैसला देगा और हुआ भी ऐसा ही। घटनाक्रम के मुताबिक राजधानी दिल्ली स्थित शालीमार बाग के मैक्स अस्पताल के डॉक्टरों ने पिछले साल नवंबर में 22 हफ्ते में पैदा हुए दो जुड़वा नवजातों को मृत घोषित कर परिजनों को सौंप दिया था। परिजन जब बच्चों के शव लेकर अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे तो उन्हें कुछ हरकत महसूस हुई। देखा तो उनमें से एक बच्चे की सांस चल रही थी। तुरंत बच्चे को पास के ही एक नर्सिंग होम में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच कर बताया कि बच्चा स्वस्थ है। हालांकि इलाज के दौरान उस बच्चे की भी मौत हो गई थी।

इस मामले में देश के नामी—गिरामी अस्पताल द्वारा बरती गई इस भारी और अक्षम्य गलती पर पुलिस ने बजाय प्राथमिकी दर्ज करने के इसे दिल्ली मेडिकल काउंसिल की लीगल सेल में डाल दिया। बच्चे के परिजनों ने मैक्स में पहुंचकर खूब हंगामा किया था, और अब मेडिकल काउंसिल ने वही किया जिसकी आशंका व्यक्त की जा रही थी।

अस्पताल प्रबंधन ने अपना कॉलर बचाने के लिए कहा था कि हम खुद इस घटना से सदमे में हैं। हमने जिंदा बच्चे को मृत घोषित करने वाले डॉक्टर को मैक्स छुट्टी पर भेज चुका है।

नागलोई की वर्षा नाम की महिला को 28 नवंबर की दोपहर को मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया था। 30 नवम्बर की सुबह 7.30 बजे उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया और 7.42 बजे एक बेटी को। जन्म के कुछ ही देर बाद डॉक्टर ने कहा कि बच्ची की जन्म के बाद ही मौत हो गई, जबकि नवजात बच्चे का इलाज चल रहा था। मगर एक घंटे वेंटीलेटर पर रखने के बाद डॉक्टरों ने दूसरे जीवित बच्चे के बारे में भी कहा कि वह मर चुका है।

इसके बाद अस्पताल ने दोनों बच्चों के मृत शरीर को कागज और कपड़े में लपेटने के बाद टेप लगा परिजनों को दे दिया। दोनों बच्चों के मृत शरीर को वर्षा के पिता ने पकड़ा हुआ था। उन्हें रास्ते में एक पार्सल में कुछ हरकत महसूस हुई, उन्होंने कपड़ा फाड़कर देखा तो बच्चा सांस ले रहा था। वे तुरंत उसे एक नजदीकी अस्पताल गये, जहां उसका इलाज चल रहा है।

जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों जांच की बात कहने लगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को मैक्स मामले की जाँच करने के आदेश दिए। केंद्रीय स्वास्थय मंत्री जेपी नड्डा ने मैक्स अस्पताल की इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए तुरंत ही स्वास्थ्य सचिव से बात कर इसकी जांच करने को कहा। पर हुआ वही ढाक के तीन पात। डॉक्टर निर्दोष साबित हो गए और दोषी मां बाप, क्योंकि उन्होंने एक नामी अस्पताल के डॉक्टरों पर भरोसा किया।

इससे और कुछ हो न हो, निजी अस्पतालों के हौसले जरूर बुलंद होंगे कि हम कोई भी जुर्म करेंगे तो बच निकलेंगे, क्योंकि मेडिकल काउंसिल बैठा ही हमें बचाने के लिए है।